8.5/24 [illegible] प्रार्थी उप०/वकील प्रा० पत्र
प्रार्थी स्वीकार किया गया। विपक्षी
निर्विरोध पृथक् से [illegible] लेकर हटाया
गया। पत्रावली [illegible] पूर्ण कर
[illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badri Narain Meena
Date: 2024.05.25 10:17:57 IST
Reason: SelfAttested

प्र.स.:- 11/2023
(GCMS 2023/9)
दायर दिनांक 25.05.2023
निर्णय दिनांक :- 08.05.2024

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लवाण जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :- श्री बद्रीनारायण मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :- 11/2023
(GCMS 2023/9)

प्रकरण दायर दिनांक :- 25.05.2023

गोविन्दा पुत्र रामपाल जाति मीणा, निवासी ग्राम पीपल्या तहसील लवाण जिला दौसा

(प्रार्थी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील लवाण जिला दौसा राजस्थान।

(अप्रार्थी)

<u>प्रार्थना पत्र धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत करवाये जाने पत्थरगढी</u>

उपस्थितिः-1. श्री सुरेश चन्द शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार उपस्थित

:: आदेश :: दिनांक : 08.05.2024

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र इस आशय का दायर किया है कि प्रार्थी की निजी खातेदारी भूमि ग्राम गुढा कीरतवास तहसील लवाण की जमाबंदी संवत् 2075-2078 के खाता संख्या 41 खसरा नम्बर 89/1 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 95/2 रकबा 0.82 है0 कुल किता-2 कुल रकबा 0.94 हैक्टयर प्रार्थी की निजी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि वाके ग्राम गुढा कीरतवास तहसील लवाण में स्थित है। प्रार्थी उक्त भूमि का सीमाज्ञान व पत्थगढी करवाना चाहतें है। पत्थरगढी करवायी जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

उप जिला कलक्टर
लवाण

Signature Not Verified
Digitally signed by Badri Narain Meena
Date: 2024.05.25 10:17:57 IST
Reason: SelfAttested

16.06.2022 ...
न0 89/1 रकबा 0.1200 है0, खसरा नं0 95/2 रकबा 0.8200 है0 कुल किता 2, कुल रकबा 0.9400 है भूमि वाके ग्राम गुढा कीरतवास पटवार

गोविन्दा

प्र.स.:– 11/2023
(GCMS 2023/9)
दायर दिनांक 25.05.2023
निर्णय दिनांक :– 08.05.2024

बहस प्रार्थी सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। आराजी खसरा नम्बर 89/1 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 95/2 रकबा 0.82 है0 कुल किता-2 कुल रकबा 0.94 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी की है। इस बाबत तहसीलदार लवाण से रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार लवाण ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.06.2023 में यह अंकन किया कि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 89/1 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 95/2 रकबा 0.82 है0 कुल किता-2 कुल रकबा 0.94 हैक्टयर का पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है। हमारे विनम्र अभिमत में उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी किया जाना विधि संगत है।

तहसीलदार लवाण को निर्देश दिये जाते है कि उक्त आराजी पर अडोस-पडोस के खेतों में फसल सरसब्ज न होने पर अर्थात पडोस के खेत खाली होने पर नियमानुसार सीमांकन कर पत्थरगढी करावें। पत्थरगढी का व्यय प्रार्थीगण स्वंय वहन करेगा। पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

बद्रीनारायण मीना (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
लवाण
उप जिला कलक्टर
लवाण

आदेश आज दिनांक 08.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लवाण
उप जिला कलक्टर
लवाण

Signature Not Verified

Digitally signed by Badri Narain Meena
Date: 2024.05.25 10:17:57 IST
Reason: SelfAttested